न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 97/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. मदरसा जामिया मौहम्मदिया हिदातुल उलूम धरीरियावास तहसील तिजारा जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सदर समसूदीन पुत्र यासीन निवासी ग्राम धरीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर ।

2. समसूदीन पुत्र यासीन कौम मेव निवासी धरीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सदर जामिया मौहम्मदिया हिदातुल उलूम धीरीयावास तह0 तिजारा (अलवर)

3. आमीन पुत्र याकूब कौम मेव निवासी धीरियावास तह0 तिजारा जिला अलवर सचिव मामिया मौहम्मदिया हिदातुल उलूम धीरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:--- प्रतिवादीगण 5,6,7/अपीलांटस

बनाम

1 असमीना पत्नी गनोखा

2 हाजरा पत्नी मनफूलखां कौम मेव निवासी धीरीयावास तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:--वादीगण/रेस्पो0 1,2

3. रमा पत्नी विपिन कुमार जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकडा तह0 तिजारा जिला अलवर राजस्थान

4. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा टपूकडा तहसील तिजारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधरी तहसीलदार तिजारा

6. उप पंजीयक, टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर

:------ प्रतिवादीगण 1,2,3,4 रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री उपखंड अधिकारी,

तिजारा दिनांक 25.5.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री दमन कुमार यादव

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :- श्री दिनेश यादव

निर्णय दिनांक 6.12.2017

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 169/13 अन्तर्गत धारा 53 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 25.5.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद आराजी हाल खसरा नम्बर 204 रकबा 1.12 एयर वाके ग्राम धींरियावास तहसील तिजारा जिला अलवर की बाबत प्राथमिक तौर पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार तिजारा को बटवारा स्कीम तैयार करने के निर्देश दिये गये थे । इससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण संख्या 5, 6, 7 ने यह अपील पेश की है ।

2 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि पूर्व में तहत न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण हमारे खिलाफ दिनांक 6.12.13 को किया गया था, जिसकी हमने अपील संख्या 96/13 अदालत श्रीमान में पेश की थी, जिसका अदालत श्रीमान द्वारा दिनांक 5.7.16 को निर्णय किया जाकर तहत न्यायालय को निर्देशित किया गया था कि उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें ।प्रकरण तहत न्यायालय को रिमांड होने के बाद हमारे द्वारा जवाब दावा पेश किया गया था । दिनांक 2.2.17 को तहत न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई थी तथा दिनांक 23.2.17 की तारीख पेशी साक्ष्य वादीगण हेतु तय की गई थी । परन्तु वादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की और तहत न्यायालय ने कैम्प में जाकर वाद पत्र बेजा तौर पर बिना तनकीवार निर्णय ही प्राथमिक तौर पर डिकी कर दिया, जो कानून सम्मत नहीं है । तहत न्यायालय का निर्णय विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है । जब अदालत श्रीमान द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य पश्चात प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तहत न्यायालय को निर्देश प्रदान किये गये थे तो हमको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था, परन्तु अदालत तहत द्वारा श्रीमान न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर बेजा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि तहत न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई करने के पश्चात ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । तहत न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिकी पारित की गई है । प्रकरण में अभी बटवारा स्कीम तैयार होनी है । उसके बाद उभयपक्ष की आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी । अगर अपीलांट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो तहत न्यायालय में पेश करें । ऐसी स्थिति में उसे प्राथमिक डिकी की अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली का अवलोकन करने पर सिद्ध होता है कि पूर्व में विद्वान तहत न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 6.12.13 को प्राथमिक डिकी पारित की थी, जिसकी अपीलांट ने अदालत हाजा में अपील संख्या 96/13 प्रस्तुत की थी । इस अपील को दिनांक 5.7.13 को निर्णय कर प्रकरण तहत न्यायालय को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया गया था कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और मात्र आधा पेज का निर्णय लिख कर प्राथमिक डिकी पारित कर दी, जो कि स्पीकिंग ऑर्डर की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

Scanned by CamScanner

श्रेणी में नहीं आता है । विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि उनके द्वारा तहत न्यायालय में जवाब दावा पेश कर दिया गया था और प्रकरण में तनकियात भी कायम कर दी गई थी, परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया । इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि जब प्रकरण में तनकियात कायम कर दी गई थी तो तहत न्यायालय को चाहिये था कि प्रत्येक तनकी पर उभय पक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित करते, जैसा कि आदेश 20 नियम 5 सी0 पी0 सी0 में प्रतिपादित किया गया है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने सी0 पी0 सी0 के उपरोक्त सिद्धान्तों की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.5.17 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि प्रकरण में कायम तनकियों पर उभयपक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 8.1.2018 को उपस्थित हों ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner